जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
52/2016
A3/1

अपील सूचना अधि. सं0 52/2016 अन्वानी श्री केशकुमार निवासी ग्राम–पकौली, पत्रालय–रजासन, भाया हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला वैशाली–844102 बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.11.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री केशकुमार उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री केशकुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> उपयुर्क्त विषय के संबंध में मुझे वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल कितने अनाज सरकार के द्वारा वितरण हेतु प्राप्त हुआ था एवं उसमें से कुल कितने अनाज का वितरण कर दिया गया। उसमें से कितने अनाज सड़ गये, क्षतिग्रस्त हो गये या गायब हो गया इसे कालाबाजारी कर बाजार में बेच दिए जाने की घटनायें हुई। इसके संबंध में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गयी। संबंधित दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करनी है एवं उसका अवलोकन करना है।
> अतः आपसे निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के अन्तर्गत वांछित सूचना निर्धारित 30 दिन की अवधी में उपलब्ध कराये।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.02.2016 को संपत्र के माध्यम से संपत्रक sripakauli@gmail.com के द्वारा संपत्रित किया था जिसका निर्णय उसे उपलब्ध नही करवाया गया है। अतः उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 1478 दिनांक 28.03.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर के पत्र सं0 187 दिनांक 02.02.16 के साथ उनके कार्यालय में दिनांक 05.02.2016 को प्राप्त हुआ जो आरटीआई पंजिका के क्रमांक 433 पर दर्ज किया गया। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट होने व आरटीआई की धारा 2–च व 7(9) के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण आवेदक का आवेदन पत्र खारिज किया जाकर उनके कार्यालय के पत्र सं0 1057 दिनांक 01.03.16 के द्वारा आवेदक को समय अवधि में सूचित कर दिया गया था। अपीलार्थी का यह कहना कि उसे सूचना प्राप्त नही हुई है कतई सही नही है। अपीलार्थी को उक्त डाक द्वारा भिजवाये गये पत्र के साथ साथ उनके ईमेल sripakauli@gmail.com पते पर जिसके द्वारा आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था दिनांक 01.03.16 को पत्र की प्रति ईमेल करवा दी गई थी।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 1057 दिनांक 01.03.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
52/2016

आपने जिस प्रारूप में सूचना चाही है उस प्रारूप में सूचना कार्यालय में संधारित नही है। उक्त चाही गई सूचना के संबंध में लेख है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2"च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.22(16)प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16—12—2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में "क्यों" प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है। रिट पेटीशन संख्या 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नो के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। अतः आपका आवेदन पत्र आरटीआई की धारा 2(च) व 7(9) खारिज किया जाता है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा जिस रूप में सूचनांए चाही गई है उस रूप में सूचनांए कार्यालय में उपलब्ध नही है अर्थात अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है **और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए और कार्यालय कार्य को प्रभावित करने वाली नही होनी चाहिए।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को **किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए अपीलार्थी किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का हकदार नही है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के तहत अपीलार्थी का प्रा0 पत्र खारिज करने का जो आदेश दिया गया है वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 16.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.11.16

(ज्ञानो राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर